पत्रांक–2ब० / जला०–01–04 / 2016 / न०वि०एवंआ०वि०

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

**के०डी० प्रौज्वल,**
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

**नगर आयुक्त,**
सभी नगर निगम।

**कार्यपालक पदाधिकारी,**
सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक–

**विषयः– पेयजल की समस्या के निदान हेतु सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में।**

**प्रसंगः– विभागीय पत्रांक– 2575, दिनांक– 23.05.2019**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा नगर निकायों में उत्पन्न पेयजल संकट से आम नागरिकों को राहत पहुँचाने के लिए सबमर्सिबल पम्प के अधिष्ठापन हेतु मॉडल प्राक्कलन एवं मार्गदर्शिका प्रेषित किया गया है।

2. दिनांक– 29.05.2019 को विभागीय प्रधान सचिव द्वारा नगर निगम, दरभंगा में भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि कतिपय वाटर टैंक बगल के किसी ऊँचे सार्वजनिक स्थल पर रखा गया है, जिससे वाटर टैंक रखने हेतु स्टील स्टेजिंग की आवश्यकता नही रह जाती है। इस प्रकार सरकारी धन का बचत होता है। अतः इस प्रकार की क्रियाविधि अन्य नगर निकायों द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए।

3. मॉडल प्राक्कलन में टंकी के उपर शेड का प्रावधान नही है। उक्त के आलोक में वाटर टैंक के उपर शेड के व्यवस्था करना उचित होगा। उक्त शेड के लिए CGI शीट अथवा किसी अन्य PVC शीट का उपयोग किया जा सकता है।

4. सबमर्सिबल पम्प के आउटलेट पॉइंट से वाटर टैंक में कनेक्शन करने के अतिरिक्त कुछ लम्बाई में Flexible पाईप (अधिकतम 50–50 फीट दोनों तरफ) का विस्तार कर स्टैंड पोस्ट का निर्माण करने से Central स्थान पर स्टैंड पोस्ट के साथ साथ अन्य दो जगहों पर भी Outlet Point उपलब्ध हो सकेगा एवं जनता अधिक लाभांवित हो सकेगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/–
**सरकार के उप सचिव।**



D:\Section - 2 (19-20)\Anand\Letter\Letter- P. Sect..docx

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–04/2016 2690 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–30.5.19

**प्रतिलिपिः**– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधक विभाग/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/5/19

**सरकार के उप सचिव।**